A 5

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान

आई.ए.एस.

अपील संख्या 68/2021

सुनिता देवी पुत्री मुंशीराम पत्नि राहुल, जाति मीणा, निवासी ग्राम सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं हाल वार्ड नं 4, ढाणी जोरा मीणा की, तह0 मण्डोली तह0 नीम का थाना जिला सीकर।

––अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार (भू.अ.) चिडावा।

––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 2340 आदेश दिनांक 08.02.2017 द्वारा तहसीलदार (भू0अ0) चिडावा।

उपस्थित :–

1. श्री मनोज कुमार वर्मा, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित
2. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– राज्य सरकार (रेस्पो0) की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 13.12.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार (भू0अ0) चिडावा के आदेश नामान्तरकरण संख्या 2340 दिनांक 08.02.2017 भूमि ग्राम सुलताना के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के अनुसार उपखण्ड अधिकारी चिडावा के समक्ष माईकल आदि ने बतौर अपीलान्टस ग्राम पंचायत सुलताना द्वारा नामान्तकरण सं. 879 आदेश दिनांक 18.10.1977 को कानूनी प्रावधानो की अनदेखी कर भरे जाने पर अपील पेश की थी। जो उनवानी अपील माईकल आदि बनाम रामचन्द्र आदि मु0नं0 04/15 है। प्रकरण में बाद सुनवाई एवं बहस अदालत उपखण्ड अधिकारी चिडावा ने दिनांक 01.12.2016 को अपना आदेश इस आशय से पारित किया, कि "पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकाई जमाबंदी संवत 2012 व जमाबंदी संवत 2058–2061 व जमाबन्दी संवत 2070–73 व नामान्तकरण सं0 879 दिनांक 18.10.1977 का अवलोकन किया गया। समस्त तथ्यों पर मनन किया जाकर अपील अपीलान्टस मंजूर की जाती है। ग्राम पंचायत सुलताना द्वारा भरा गया नामातकरण सं0 879 आदेश दिनांक 18.10.1977 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2070–73 के रिकार्ड उक्त बैंक राहिन संबंधित खातेदार के हिस्से पर यथावत रखा जावे। तहसीलदार चिडावा को आदेश की प्रति प्रेषित कर पत्रावली इस आशय के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वादग्रस्त भूमि में स्व0 रामदेवा का हिस्सा 1/2 में अपीलांट व रेस्पोडेन्टस नं0 4 लगायत 11 का नाम राजस्व रिकार्ड में इनके हिस्से अनुसार रेस्पोडेन्टस नं0 1 लगायत 3 के साथ खातेदारी में अभिलिखित करने हेतु विधिवत जांच कर राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे। अपील में गत आदेश दिनांक 11.06.2015 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का अपास्त किया जाता है। तहसीलदार चिडावा को तहरीर जारी हो।" उक्त आशय का आदेश पारित किया गया। श्रीमान के उक्त आदेश दिनांक 01.12.2016 पर उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा तहसीलदार (भू0अ0) चिडावा/रेस्पोडेंट 1 को उनवानी अपील माईकल आदि बनाम रामचन्द्र आदि मु0नं0 04/15 में पारित निर्णय के अनुसरण में कार्यवाही के लिए आदेशित किया जिस पर रेस्पोडेन्ट 1 द्वारा पटवारी हल्का सुलताना को वादग्रस्त भूमि बाबत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर रिपोर्ट के लिए कहा गया और तत्पश्चात पटवारी हल्का की अपूर्ण व वेग रिपोर्ट के आधार पर नामान्तकरण सं0 2340 आदेश दि. 08.02.2017 भरा गया जिसमें कई वैधानिक त्रुटियां की गयी है जिस कारण अपीलान्ट की ओर से अपील पेश की जा रही है कि अदालत मातहत/ रेस्पो0 नं0 1 द्वारा मृतक व्यक्ति के पक्ष में भरा गया नामांतकरण सं0 2340 आदेश दिनांक 08.02.2017 निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट 1 द्वारा एस0डी0ओ0 चिडावा न्यायालय के अपील सं. 04/15 आदेश दिनाक 01.12.2016 की ओर कतई सम्यक अध्ययन नही किया और वेग रिपोर्ट पर अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता मुशीराम के नाम खातेदारी अंकन कर नामांतकरण सं0 2340 दिनांक 08.02.2017 भर दिया जबकी एस0डी0ओ0 चिडावा के निर्णय टाईटल में रेस्पो0 नं0 2 मुंशीराम के आगे मृतक शब्द अंकित होकर उसके वारिसान 2/1 लगायत 2/5 दर्ज हैं। अपीलान्ट को अपील सं0 04/15 में पक्षकार भी नही बनाया गया है जबकि अपीलान्ट के भाईयों, बहिनों व माता को रेस्पो0 नं0 2/1 लगायत 2/5 के स्वर्गीय पिता मुंशी के वारिसान के रूप में पक्षकार बनाया है। लेकिन रेस्पो0 नं0 1 के कर्मचारियो द्वारा खातेदारी दर्ज करते वक्त न तो मुंशीराम की फौतगी रिकार्ड पर आ जाने का ध्यान दिया और न ही मुंशीराम के वारिसान बाबत विधिवत जांच की और एस0डी0ओ0 चिडावा के अपील सं0 04/15 के आदेश का अदालत मातहत/रेस्पो0 नं0 1 एवं उसके कर्मचारियो ने कतई गौर से अध्ययन नही किया न ही रेस्पो0 नं0 1 के कर्मचारियो ने मौके पर जाकर विधिवत जांच और पूछताछ की और ना ही अपील सं0 04/15 के टाईटल में स्व0 मुंशीराम के वारिसान का सही आंकडा एकत्र किया। अपीलान्ट मुंशीराम की विधिक वारिस के रूप में पुत्री है जो उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विचारित अन्य रेवेन्यू मामलो में रेस्पो0 2/1 लगा0 2/5 के साथ वारिस के रूप में पक्षकार भी है। इसलिए स्व0 मुंशी के वारिसान के रूप में अपीलान्ट का नाम भी रेस्पो0 2/1 लगा0 2/5 के साथ ही खातेदारी में अंकन होना न्यायोचित है। लेकिन पटवारी हल्का चिडावा ने मौके पर जाकर विधिवत जांच और पूछताछ नही कर भारी भूल की जिससे अपीलान्ट के हक हदूद क्षति होने की संभावना है इसलिए नामांतकरण सं0 2340 आदेश दिनांक 08.02.2017 को चुनौती देना आवश्यक हुआ। उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा अपने आदेश में ग्राम पंचायत सुलताना द्वारा भरे गये पुराने नामान्तकरण सं0 879 आदेश दिनांक 18.10.1977 को निरस्त करने का आदेश किया गया था लेकिन रेस्पोडेन्ट 1 द्वारा उक्त नामान्करण सं. 879 पर आज तक निरस्त होने का अंकन नही हुआ है। जिस कारण आदेश नामान्तरकरण सं0 879 आदेश दिनांक 18.10. 1977 आज भी विधि की संज्ञा में निरस्त नही हुआ प्रकट होता है। इस कारण उपखण्ड अधिकारी चिडावा के अपील सं0 04/15 आदेश दिनांक 01.12.2016 की सम्यक पालना नही होने से प्रकरण में पेचिदगियां उत्पन्न होने की आंशका है। श्रीमान तहसीलदार चिडावा का नामांतकरण सं0 2340 आदेश दिनांक 08.02.2017 का है जिसका ज्ञान अपीलान्ट को नही हुआ क्योकि वर्तमान में अपीलान्ट ससुराल सीकर जिला में रहती है। इस कारण श्रीमान् के समक्ष लबित अपील सं0 04/15 एवं तहसीलदार चिडावा का नामांतकरण सं0 2340 दिनांक 08.02.2017 का ज्ञान नही हो पाया तथा विगत 15–18 माह में कोरोना महामारी के कारण पीहर आना नही के बराबर हुआ है तथा मुंशीराम के अन्य वारिसान को भी उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नही रही। अगस्त 2021 में अन्य वारिसान को जानकारी हुई तो मुंशीराम के अन्य वारिसान द्वारा अपीलान्ट को अवगत कराया गया तो अपीलान्ट को पता चला और दिनांक 23.08.2021 को उक्त नामान्तरकरण आदेश व पूर्व नामान्तरकरण आदेश दोनों की नकलें प्राप्त की। जिससे यह अपील जानकारी के रोज से इस कारण श्रीमान उपखण्ड अधिकारी चिडावा की अपील

सं0 04/15 के आदेश एवं तहसीलदार चिडावा का नामातकरण सं0 2340 आदेश दिनांक 08.02.2017 का ज्ञान नही हो पाया तथा विगत 15–18 माह में कोरोना महामारी के कारण अपीलान्ट का पीहर आना–जाना नही के बराबर हुआ है और मुंशीराम के अन्य वारिसान पुत्र–पुत्रियो, पत्नी को भी उक्त नामातकरण की जानकारी नही रही। अगस्त 2021 में अपीलान्ट के भाईयो को अपीलांट का नाम अपने साथ नामान्तरकरण सं0 2340 में नही होने पर जानकारी होने पर अपीलांट को अवगत कराया गया तो अपीलांट को मामले का पता चला और दिनांक 23.08.2021 को उक्त नामांतकरण एवं पूर्व नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की। अदालत मातहत का आदेश बहाल रह जाने से अपीलांट का हक हदूद को नुकसानी होकर अपूर्णीय क्षति होती है। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामांतकरण सं0 2340 आदेश दि. 08.02.2017 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का नाम मुंशीराम के अन्य वारिसान के साथ खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश करे तथा ग्राम पंचायत सुलताना द्वारा भरा गया पूर्व नामान्तकरण सं0 879 आदेश दि. 18.10.1977 में निरस्त किये जाने बाबत मार्क किये जाने आदेश प्रदान करें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत/रेस्पो0 नं0 1 द्वारा मृतक व्यक्ति के पक्ष में भरा गया नामांतकरण सं0 2340 आदेश दिनांक 08.02.2017 निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट 1 द्वारा एस0डी0ओ0 चिडावा न्यायालय के अपील सं0 04/15 आदेश दिनाक 01.12.2016 की ओर कतई सम्यक अध्ययन नही किया और वेग रिपोर्ट पर अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता मुशीराम के नाम खातेदारी अंकन कर नामांतकरण सं0 2340 दिनांक 08.02.2017 भर दिया जबकी एस0डी0ओ0 चिडावा के निर्णय टाईटल में रेस्पो0 नं0 2 मुंशीराम के आगे मृतक शब्द अंकित होकर उसके वारिसान 2/1 लगायत 2/5 दर्ज है। अपीलान्ट को अपील सं0 04/15 में पक्षकार भी नही बनाया गया है जबकि अपीलान्ट के भाईयों, बहिनों व माता को रेस्पो0 नं0 2/1 लगायत 2/5 के स्वर्गीय पिता मुंशी के वारिसान के रूप में पक्षकार बनाया है। लेकिन रेस्पो0 नं0 1 के कर्मचारियो द्वारा खातेदारी दर्ज करते वक्त न तो मुंशीराम की फौतगी रिकार्ड पर आ जाने का ध्यान दिया और न ही मुंशीराम के वारिसान बाबत विधिवत जांच की और एस0डी0ओ0 चिडावा के अपील सं0 04/15 के आदेश का अदालत मातहत/रेस्पो0 नं0 1 एवं उसके कर्मचारियो ने कतई गौर से अध्ययन नही किया न ही रेस्पो0 नं0 1 के कर्मचारियो ने मौके पर जाकर विधिवत जांच और पूछताछ की और ना ही अपील सं0 04/15 के टाईटल में स्व0 मुंशीराम के वारिसान का सही आंकडा एकत्र किया। अपीलान्ट मुंशीराम की विधिक वारिस के रूप में पुत्री है जो उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विचारित अन्य रेवेन्यू मामलो में रेस्पो0 2/1 लगा0 2/5 के साथ वारिस के रूप में पक्षकार भी है। इसलिए स्व0 मुंशी के वारिसान के रूप में अपीलान्ट का नाम भी रेस्पो0 2/1 लगा0 2/5 के साथ ही खातेदारी में अंकन होना न्यायोचित है। लेकिन पटवारी हल्का चिडावा ने मौके पर जाकर विधिवत जांच और पूछताछ नही कर भारी भूल की जिससे अपीलान्ट के हक हदूद क्षति होने की संभावना है इसलिए नामांतकरण सं0 2340 आदेश दिनांक 08.02.2017 को चुनौती देना आवश्यक हुआ। उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा अपने आदेश में ग्राम पंचायत सुलताना द्वारा भरे गये पुराने नामान्तकरण सं0 879 आदेश दिनांक 18.10.1977 को निरस्त करने का आदेश किया गया था लेकिन रेस्पोडेन्ट 1 द्वारा उक्त नामान्करण सं0 879 पर आज तक निरस्त होने का अंकन नही हुआ है। जिस कारण आदेश नामान्तरकरण सं0 879 आदेश दिनांक 18.10.1977 आज भी विधि की संज्ञा में निरस्त नही हुआ प्रकट होता है। इस कारण उपखण्ड अधिकारी चिडावा के अपील सं0 04/15 आदेश दिनांक 01.12.2016 की सम्यक पालना नही होने से प्रकरण में पेचिदगियां उत्पन्न होने की आंशका है। अदालत मातहत का आदेश बहाल रह जाने से अपीलांट का हक हदूद को नुकसानी होकर अपूर्णीय क्षति होती है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामांतकरण सं0 2340 आदेश दि. 08.02.2017 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का नाम मुंशीराम के अन्य वारिसान के साथ खातेदारी में दर्ज किये जाने

का आदेश करे तथा ग्राम पंचायत सुलताना द्वारा भरा गया पूर्व नामान्तकरण सं0 879 आदेश दि. 18.10.1977 में निरस्त किये जाने बाबत मार्क किये जाने आदेश प्रदान करें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण न्यायालय आदेशों की पालना मे नियमानुसार भरा गया है जिसमे कोई त्रुटि नही है। अपीलान्ट द्वारा निराधार तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा नामान्तकरण 2340 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के आदेश दिनांक 01.12.2016 की पालना में दिनांक 08.02.2017 को तस्दीक किया गया है। प्रकरण में अहम तथ्य निम्न प्रकार से है यथा :–

1. अपीलान्टस का प्रकरण में अहम तर्क यह रहा है कि नामान्तरकरण संख्या 2340 पर पारित आदेश दिनांक 08.02.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मु.न. 04/2015 आदेश दिनांक 01.12.2016 की पालना में दर्ज हुआ है। उक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ अदालत मातहत को रिमाण्ड किया गया था कि " वादग्रस्त भूमि में स्व. रामदेवा का हिस्सा 1/2 में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस नम्बर 4 लगायत 11 का नाम राजस्व रिकार्ड में इनके हिस्से अनुसार रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 लगायत 3 के साथ खातेदारी में अभिलिखित करने हेतु विधिवत जांच कर राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें।" परन्तु अदालत मातहत द्वारा मु.न. 04/2015 में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मुन्शीराम के नाम नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जबकि मुन्शीराम का देहान्त हो चुका था तथा उसके विधिक वारिसान को रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 लगायत 2/5 के रूप में पक्षकार बनाया जा चुका था। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से अपीलान्ट के तर्क सही प्रतीत होते है। क्योंकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मु.न. 04/2015 में पारित आदेश दिनांक 01.12.2016 में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मुन्शीराम के आगे "मृतक" अंकित है तथा उसके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है।
2. अदालत मातहत द्वारा मृत व्यक्ति के नाम से नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो विधिसम्मत् नहीं है। ऐसे में हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।
3. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2340 पर पारित आदेश दिनांक 08.02.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत विधिक पक्षकारों की जांच करते हुये तथा पक्षकारों को सुनवाई का पुर्ण अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

आदेश आज दिनांक 13.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं